कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंह नगर।
Email: dmusn. 1995@gmail.com फोन नं0–05944–242344/फैक्स नं0–05944–250408
पत्र संख्या– 8067 /सात–1/4/2018 दिनॉक 29 अगस्त, 2018

## कार्यालय आदेश

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं0–2293/चार–124/2018–19 दिनांक 24 अगस्त, 2018 के द्वारा राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) के प्रशिक्षण हेतु रिक्तियों को मैरिट सूची से पूर्ण किये गये निम्न अभ्यर्थियों को राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में दिनांक 04.09.2018 से प्रारम्भ/आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के निर्देश दिये गये है।

| क्र0 सं0 | नाम /पिता का नाम | पत्र व्यवहार का पता |
|---|---|---|
| 01 | प्रकाश जोशी पुत्र मुरलीधर जोशी | छडायल नयाबाद (भण्डारी फार्म) गैस गोदाम रोड हल्द्वानी पो0ओ0 हरिपुर नायक जिला नैनीताल |
| 02 | भूपेन्द्र सिंह विष्ट पुत्र नन्दन सिंह विष्ट | संजय कालौनी आवास विकास नियर सेंशन कोर्ट हल्द्वानी जिला नैनीताल |
| 03 | पवन कोहली पुत्र सर्वजीत कोहली | जवाहर ज्योति दमुवाढ़ुँगा नियर जे0डी0एम0 स्कूल हल्द्वानी जनपद नैनीताल |
| 04 | नीता चौहान पुत्र श्री हयात सिंह चौहान | ग्राम शान्तिपुरी नं0 1 पो0ओ0 शान्तिपुरी नं0–2 तहसील किच्छा जिला उधमसिंहनगर |
| 05 | ज्योति पुत्री करन सिंह | ग्राम चॉदपुर पो0 आर0टी0सी0 हेमपुर तहसील काशीपुर |
| 06 | आरती पुत्री बहरन प्रसाद | मेलाघाट रोड राजीवनगर खटीमा |
| 07 | हुमा रसीद पुत्री अब्दुल रसीद | वार्ड नं0–5 अनुपम सिनेमा के सामने बलवन्त कालोनी बरेली रोड किच्छा उधमसिंहनगर। |
| 08 | श्री नवल किशोर पुत्र स्व0 नन्द प्रकाश | ग्राम करनपुर तहसील जसपुर जिला उधमसिंहनगर। |
| 09 | श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 मान सिंह | वार्ड नं0–1 करतारपुर रोड गदरपुर तहसील गदरपुर |

अतः उपरोक्त तालिका में अंकित अभ्यर्थी जिन्हें शासनादेश संख्या–1393/XVIII(1) 2017–03(3) /2014टी0सी0 –II दिनांक 27 अक्टूवर, 2017 में निहित प्राविधानों के तहत इस कार्यालय के पत्र संख्या–3153/सात–1/3/2018 दिनांक 08 जून, 2018 के द्वारा श्रेष्ठता कम में राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है, साथ ही मृतक आश्रित के रूप में प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थी को निम्न शर्तो के अधीन नियत तिथि 04.09.2018 से आयोजित प्रशिक्षण में कार्यकारी निदेशक, राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा को प्रशिक्षण तिथि से पूर्व अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है।

1– उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) सेवा नियमावली–2015 के नियम–21 के प्राविधानों के तहत प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संस्थान से, स्वयं के व्यय पर, विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठयक्रम पर आधारित एक वर्षीय प्रशिक्षण तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2– यह आदेश मात्र राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) प्रशिक्षण हेतु निर्गत किये जा रहें है। संस्थान में एक वर्ष के प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षु को रू0 9,000/– प्रति माह अथवा राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर संशोधित दर से मानदेय अनुमन्य होगा ।

3– यह आदेश केवल राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण संस्थान अल्मोड़ा में दिनांक 08.03.2016 से राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) प्रशिक्षण हेतु जारी किय जा रहे है। प्रशिक्षण में जाने से पूर्व 02 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4— इस आदेश प्राप्ति के उपरान्त अपनी योगदान आख्या कार्यकारी निदेशक, राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा को दिनांक 04.09.2018 से पूर्व देनी होगी। राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण संस्थान (दायित्व एवं कृत्यों का परिसीमन) नियमावली—2013 में निहित प्रावधानों के अर्न्तगत निर्धारित अवधि में संस्थान में योगदान नही जाता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

5— उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा, तथा संस्थान में स्वयं के व्यय पर एक वर्षीय प्रशिक्षण, तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वका प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6— वर्तमान प्रशिक्षण पर तैनाती के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन मान्य नही होगा।

7— मात्र प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना सेवा में नियुक्ति का आधार नही होगा। संस्थान में सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी ही, अन्यथा उपयुक्त होने पर, राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होगा। प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त मानदेय अनुमन्य नही होगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने उपरान्त जनपद में योगदान देने पर ही पृथक से वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति आदेश निर्गत किये जायेगें। नियुक्ति आदेश ही मौलिक नियुक्ति का आधार होगा। प्रशिक्षण अवधि को सेवाकाल नही माना जायेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षुओं को राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण संस्थान (दायित्व एवं कृत्यों का परिसीमन) नियमावली—2013 के नियम—16 (1) में दी गयी व्यवस्था के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षुओं हेतु—
**पुरूष प्रतिभागियों हेतु**— (1) ग्रे रंग की पेन्ट , 2— सफेद रंग की कमीज, 3— काले रंग की स्वेटर, 4— नीला ब्लेजर कोट, 5— ग्रे रंग के मौजे, 6— काले रंग के जूते।
**महिला प्रतिभागियों हेतु**— 1—लाल बार्डर सफेद या क्रीम रंग की साड़ी, 2— काले रंग की स्वेटर, 3— नीला ब्लेजर कोट, पोषाक के रूप में निर्धारित किये गये है।

(डा0 नीरज खैरवाल)
जिलाधिकारी
उधमसिंहनगर।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
2— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र दिनांक 24.08.2018 के कम में।
3— कार्यकारी निदेशक, राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा ।
4— मुख्य कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
5— सम्बन्धित लेखपाल प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थी।
6— कार्यालय प्रति।
7- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उधमसिंह नगर। कृ० इसे वेब साइट पर अपलोड करें।

अनुभागाधिकारी (प्रशा०) 29/8/18

जिलाधिकारी
उधमसिंहनगर।